**प्रेस विज्ञप्ति**

**05.06.2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने खच्चर खातों के संचालन और अवैध सट्टेबाजी और जुए से जुड़े रैकेट के मामले में पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, यूपी और असम में विभिन्न परिसरों धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज पाए गए हैं और जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, अपराध की आय (पीओसी) से जुड़ी गतिविधियों से जुड़े 766 खच्चर बैंक खाते (म्यूल बैंक खाते) और 17 डेबिट / क्रेडिट कार्ड भी फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा, पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत विशाल भारद्वाज उर्फ बादल भारद्वाज और सोनू कुमार ठाकुर नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कलकत्ता के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने 10 दिनों के लिए ईडी की हिरासत प्रदान की।

यह मामला सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरी, पश्चिम बंगाल द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और पश्चिम बंगाल जुआ और पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1957 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। विशाल भारद्वाज @ बादल भारद्वाज और सोनू कुमार ठाकुर को आरोपी के रूप में पेश किया गया और पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र में फरार दिखाया गया। ईडी ने तलाशी के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया था।

इस कार्यप्रणाली में बैंक खाते की प्रकृति और उपयोगिता के आधार पर एकमुश्त भुगतान या आवर्ती मासिक आधार पर भुगतान के बदले में धन खच्चर( मनी म्यूल ) के रूप में कार्य करने के लिए लोगों की भर्ती करके खच्चर बैंक खाते (बचत, चालू और कॉर्पोरेट खाते) खोलना शामिल है। ये बैंक खाते विशेष रूप से वेबसाइटों और टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से चलाए जा रहे अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न आय के संग्रह और बाद में लेयरिंग के लिए हैं। इन खच्चर (म्यूल) खाताधारकों का खातों पर कोई नियंत्रण या पहुंच नहीं है। घोटालेबाजों ने लोगों को आईपीएल, आईएसएल, टी20 विश्व कप, ऑनलाइन रमी, ऑनलाइन कैसीनो आदि जैसे विभिन्न खेलों में सट्टेबाजी और जुआ खेलने के लिए व्हाट्सएप नंबरों के माध्यम से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया।

आगे की जांच चल रही है।